**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2760**

17.03.2025 को उत्तर के लिए

**चीनी मांझे पर प्रतिबंध**

**2760. श्री गुरजीत सिंह औजला:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब राज्य तथा देश के अन्य भागों में प्रतिबंधित नुकीले पतंग उड़ाने वाले धागे/चीनी डोर/मांझा के निर्माण, बिक्री, भंडारण, आपूर्ति, आयात तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना के बावजूद इनके निरंतर उपयोग तथा उपलब्धता के बारे में जानकारी है;

(ख) चीनी डोर/मांझा के कारण कितनी मानव मौतें/दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ग) सरकार द्वारा पंजाब सहित देश में खतरनाक पतंग उड़ाने वाले धागों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने तथा निर्माताओं, वितरकों तथा खुदरा विक्रेताओं द्वारा इसके उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में बायोडिग्रेडेबल सूती धागे जैसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने तथा दुर्घटनाओं, मौतों तथा पर्यावरण क्षति को रोकने के लिए निगरानी तंत्र की स्थापना के लिए राज्यों को कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश या निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पंजीकृत मामलों/लगाए गए जुर्माने की संख्या का पंजाब सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की इस खतरे को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (च): 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझा/नायलॉन/ग्लास कोटेड/सिंथेटिक धागे के विनिर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय दंड संहिता आदि के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। 05

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पुष्टि की है कि उनके संबंधित राज्यों में चीनी मांझा/नायलॉन/सिंथेटिक/ग्लास कोटेड धागे से संबंधित कोई विनिर्माण इकाई उपलब्ध नहीं है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने दिनांक 23.02.2023 के पत्र के माध्यम से शेष 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझा/नायलॉन/सिंथेटिक/ग्लास-कोटेड धागे के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए उचित उपाय करें और निषेधात्मक आदेश जारी करें। इसके अलावा, एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 23.02.2023 के पत्र के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से इस संबंध में उचित उपाय करने और निषेधात्मक आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। निर्देशों का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

सीपीसीबी ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को दिनांक 27.03.2023 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश जारी किए, ताकि चीनी मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके और निर्माताओं द्वारा उल्लंघन को रोका जा सके:

i. पतंग उड़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले चीनी मांझा/नायलॉन/सिंथेटिक सामग्री/ग्लास कोटेड धागे के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाना;
ii. यह सुनिश्चित करना कि वैध संचालन सहमति (सीटीओ) वाली मौजूदा इकाइयां पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझा/नायलॉन/सिंथेटिक/ग्लास कोटेड धागे का निर्माण या उत्पादन नहीं करेंगी;
iii. "रेयान, टायर कॉर्ड, पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न सहित सिंथेटिक फाइबर" विनिर्माण इकाइयों द्वारा वार्षिक आधार पर स्व-घोषणा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना कि वे अपने उत्पाद केवल वैध उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति कर रहे हैं, न कि पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझा/नायलॉन/सिंथेटिक सामग्री/ग्लास कोटेड धागे के विनिर्माण में शामिल किसी भी इकाई को;
iv. पतंग उड़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले चीनी मांझा/नायलॉन/सिंथेटिक सामग्री/ग्लास कोटेड धागे के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद एवं उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में स्थानीय समाचार पत्र/मीडिया आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करना।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पंजाब सरकार ने अधिसूचना संख्या 3/25/23-एसटीई4/293 दिनांक 05.07.2023 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत पंजाब राज्य के भीतर चीनी मांझा सहित नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं, यह प्रतिबंध गैर-जैवनिम्नीकरणीय पदार्थों से लेपित किसी भी पतंग उड़ाने वाले धागे पर भी लागू होगा, साथ ही ऐसे किसी भी पतंग धागे पर भी लागू होगा जो तेज पतला हो या कांच, धातु या अन्य काटने वाली सामग्री से लेपित करके तेज धारदार बनाया गया हो।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने दिनांक 24.11.2023 के पत्र के माध्यम से विभिन्न विभागों, अर्थात् पुलिस, गृह मंत्रालय, स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, कार्मिक, वन और वन्यजीव संरक्षण और उपायुक्तों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे प्राधिकृत/अधिकारियों को दिनांक 05.07.2023 की अधिसूचना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और चीनी मांझे के उपयोग, इसके निर्माण, बिक्री और भंडारण के संबंध में उल्लंघन का संज्ञान लेने का निर्देश दें।

पंजाब राज्य में पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझा/नायलॉन/सिंथेटिक सामग्री/ग्लास कोटेड धागे का विनिर्माण या उत्पादन करने वाली कोई इकाई नहीं है। ऐसे दो उद्योग हैं जो रेयान, टायर कॉर्ड, पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न सहित सिंथेटिक फाइबर का निर्माण कर रहे हैं और सभी उद्योगों ने वार्षिक आधार पर स्व-घोषणा प्रस्तुत की है कि वे अपने उत्पाद केवल वैध उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति कर रहे हैं, न कि चीनी मांझा, नायलॉन/सिंथेटिक सामग्री/पतंग उड़ाने के लिए ग्लास कोटेड धागे के विनिर्माण में शामिल किसी भी इकाई को। पंजाब राज्य में अनुपालन के लिए सीपीसीबी के दिनांक 27.03.2023 के निर्देश और राज्य सरकार की दिनांक 05.07.2023 की अधिसूचना सभी औद्योगिक संघों और सूक्ष्म/लघु उद्योग/टायर कॉर्ड/पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न विनिर्माण इकाइयों के बीच परिचालित की गई है।

पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया गया है कि वे अंतर-राज्यीय सीमा पर सघन जांच/निरीक्षण के लिए आवश्यक प्रबंध करें, ताकि पड़ोसी राज्यों से पंजाब में प्रतिबंधित चीनी मांझे के प्रवेश की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सके।

*****